### !! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक / लेखा / वाहन पार्किंग / 2024 / 29735

दिनांक :-8/8/29

## खुली बोली सूचना

इस कार्यालय द्वारा न्यायालय परिसर एवं न्यायालय विस्तार भवन के वाहन पार्किंग स्टेण्ड की बोली विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता / संवेदक से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के तहत द्वि—प्रक्रमी (तकनीकी एवं वित्तीय) मुहरबन्द शर्तरहित बोली आमंत्रित की जाती है।

कार्य विवरण	न्यूनतम बोली राशि रूपये में	अमानत राशि रूपये में	निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये में
वाहन पार्किंग स्टेण्ड के ठेके हेतु	420000 / -	8400 / —	200/-

निवदा प्रपत्र किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में निविदा बोली प्रपत्र, शुल्क 200 रूपये नकद/जिरये डी०डी० जमा कराकर, दिनांक 16.08.2024 को सांय 3.00 बजे तक इस कार्यालय की लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। तथापि बोली प्रारूप एवं संलग्न अन्य विवरण को http://sppp.rajasthan.gov.in से भी प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली सीलबंद लिफाफे में दिनांक 17.08.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा करा सकते हैं। प्राप्त बोलीयां उसी दिनांक 17.08.2024 को सांय 4.30बजे खोली जावेगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्त विभाग की वेबसाइट https://alwar.dcourts.gov.in/ अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। बेवसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की स्थिति में फॉर्म जमा करवाते समय प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य रूप्ये 200 का डी०डी०/BC पृथक से जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

दिनांक :- 8/8/24

क्रमांक/लेखा/वाहन पार्किंग/2024/29736-38

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।

2. विस्टम ऑफिसर कार्यालय हाजा, अलवर को पोर्टल एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

3. सम्पादक राजस्थान पत्रिका, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को अलवर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करे।

> क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

### **Bidding Document**

## कार्यालय परिसर एवं न्यायालय विस्तार भवन स्थित वाहन पार्किंग के ठेके की नीलामी

(प्रपत्र शुल्क 200 रूपये)

## खुली-नीलामी आमंत्रण पत्र

(अनुबंध)

बिड प्रपत्र वि	क्रय की अंतिम तिथि	बिड प्रस्तुत करने की अतिम तिथि			
दिनांक	समय	दिनांक	समय		
16-08-2024	3.00 पी.एम.	17-08-2024	2.00 पी.एम.		

## Court and Court Extension Building Campus, Alwar

फोन-0144-2337360 ई-मेल-**dc-alw-rj@nic.in** Website: https://alwar.dcourts.gov.in/





## **Bidding Document**

## कार्यालय परिसर एवं न्यायालय विस्तार भवन स्थित वाहन पार्किंग के ठेके की नीलामी

(अनुबंध)

## अनुक्रमणिका

क्र0स0	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	तकनीकी बोली प्रपत्र	3-4
02	वित्तीय बोली प्रपत्र	5
03	न्यायालय परिसर एवं न्यायालय विस्तार भवन स्थित वाहन पार्किंग के ठेके की शर्ते	6-11





### -: तकनीकी बोली प्रपत्र :-(लिफाफा न0 1) न्यूनतम बोली राशि 4.20 लाख

1	
1. बोलीदाता फर्म का नाम मय पता	
2. फोन /मोबाईल नम्बर	• 10 2
3 बोली जिसके लिए दी गई	न्यायालय परिसर एवं न्यायालय विस्ता भवन स्थित वाहन स्टैण्ड के ठेके की नीलामी
4. पेन नम्बर	ગાલાના
5. जीएसटी नम्बर	
6. न्यूनतम बोली राशि	रूपये 4,20,000 / -
7. निविदा शुल्क की राशि	(चार लाख बीस हजार रूपये) रूपये 200 / – डी.डी.सं दिनांक
7. प्रतिभूति राशि	रूपये ८,४०० / — डी.डी.सं दिनांक
8. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम दिनांक	16.8.2024 को सांयः 3.00 बजे तक
9. निविदा प्रस्ताव प्राप्ति की दिनांक	17.08.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक
10. निविदा प्रस्ताव खोलने की दिनांक	17.08.2024 को 4.30 बजे

- 12 वाहन स्टैण्ड हेतु बोली प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
- 13 तकनीकी योग्यता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र यथा धरोहर राशि 8400/- रूपये का डी.डी./BC, पैन कार्ड की फोटो प्रति, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जीएसटी बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र, ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होंने सम्बन्धी 50रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र, बैंक खाता विवरण एंव शर्ते सहित मय हस्ताक्षरित संलग्न है।
- 14 संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति केआधार पर बढाया भी जा सकेंगा।

दिनांक:-





बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

तकनीकी योग्यताऍं :--न्यायालय परिसर एवं न्यायालय विस्तार भवन स्थित वाहन पार्किंग के ठेके की नीलामी

कंस.ं	तकनीकी योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र			
1	बोलीदाता को किसी बोर्ड, कॉरपोरेषन, प्राधिकरण निगम द्वारा ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।	राशि रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र।			
2	बोलीदाता के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होंना चाहिए एवं जी एस टी बकाया नही होने का प्रमाण–पत्र/ शपथ पत्र।	1.रजिस्ट्रेशन प्रमाण — पत्र की स्वयं सत्यापित छायांप्रति 2. जी एस टी बकाया नही होने का प्रमाण—पत्र / शपथ पत्र।			
3	बोलीदाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।	पैनकार्ड की स्वयं सत्यापित छायांप्रति।			
4	बैंक खाता विवरण	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायांप्रति			
5	धरोहर राशि	8400/- डी0डी / बैंकर चैक			
6	नीलामी शर्ते	शर्ते स्वीकार करने हेतु प्रारूप हस्ताक्षरित कर संलग्न है			

नोट :--तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।



बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता



न्यायालय परिसर एवं न्यायालय विस्तार भवन स्थित वाहन पार्किंग के ठेके की नीलामी (वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

क्र.स.	सेवा / साम्रगी / प्रदाय का विवरण	न्यूनतम नीलामी बोली	बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली
1	न्यायालय परिसर एवं न्यायालय विस्तार भवन स्थित वाहन पार्किंग के ठेके की नीलामी	4.20 लाख	

नोट :- 1 बोली राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. की राशि पृथक से जमा करवाई जाएगी।







## न्यायालय परिसर एवं न्यायालय भवन विस्तार अलवर स्थित वाहन पार्किंग के ठेके

### की शर्ते

### वर्ष 2024-25

- 1. बोली लगाने वाले व्यक्ति को रूपये 8400 /—( आठ हजार चार सौ रूपये) अर्नेस्ट मनी (धरोहर राशि) के रूप में जमा कराने होगें। सफल बोलीदाता को 50000 /—(शब्देन पचास हजार रूपये मात्र) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security), वार्षिक ठेका राशि की आनुपातिक रूप से एक माह की राशि एवं TDS की राशि जमा करानी होगी तथा एक माह की राशि पर जी०एस०टी० जमा कराकर चालान प्रस्तुत करना होगा। सफल बोलीदाता के उक्तानुसार राशि 2 दिवस में जमा कराने में असफल रहने की दंशा में जमा धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेके को द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को अथवा पुनः नीलामी द्वारा छोडा जावेगा।
- 2. बोली के मुहरबन्द लिफाफे में अंकित दस्तावेज तथा बोली को निर्धारित प्रपन्न के साथ संलग्न सामान्य शर्तों के प्रपन्न एवं अन्य आवश्यक प्रपन्न हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित किये जाकर संलग्न करने है।
- 3. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पूर्ण रूप से भरी जाकर अलग— अलग बन्द लिफाफों में रखकर दोनों लिफाफों को एक लिफाफे में मुहरबन्द कर प्रेषित की जानी है। बोलीदाता को बोली के सभी पृष्ठों पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
- 4. प्राप्त हुई निविदाओं को दिनांक 17.08.2024 को सांय 4.30 बजें खोला जावेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5. निविदा के साथ राशि रूपये 8400/— का बैंकर्स चेक/डी डी जो कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर के नाम से देय हो, प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, उसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी
- 6 ठेका स्वीकृति दिनांक से एक वर्षतक की अवधि के लिये होगा। ठेके की अवधि को आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
- 1. ठेका लेने वाला व्यक्ति आगन्तुओं से निम्न दर से वाहन स्टैण्ड किराया वसूल कर सकेगा।
  - (अ) दैनिक आधार पर
    - 1-साईकिल 5/-(पांच रूपया)
    - 2-स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड 10 / -(दस रूपया)
    - 3-कार, जीप व अन्य चौपहिया वाहन 20 /- (बीस रूपया)
- (ब) दैनिक पास आधार पर (सम्पूर्ण दिवस)
  - 1-साईकिल 7/-(सात रूपया)
  - 2-स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड 20 / -(बीस रूपया)
  - 3-कार, जीप व अन्य चौपहिया वाहन 30/- (तीस रूपया)
  - (स) न्यायिक अधिकारीगण/अन्य अधिकारीगण/राजकीय वाहन, स्टाफ की साईकिल, मोटर साईकिल, स्कूटर,मोपेड, कार व जीप व अन्य वाहन निशुल्क रखने होगे। ठेकेदार स्टाफ को वाहन पर लगाने हेतु स्वयं के खर्चे पर टोकन जारी करेगा, जिसकी कीमत 10/— (दस रूपया) वार्षिक वसूल कर सकेगा।
  - (द) पंजिकृत अधिवक्तागण एवं मुंशी हेतु माननीय जिला एवं सेशन महोदय, अलवर द्वारा निशुल्क पार्किंग की जा सकेगी।
  - 7. दरें नियत स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई काट—छाँट एवं उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
  - 8.. सफल ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर परिसर स्थित विभिन्न साईकिल स्टेण्ड स्थलों के दोनोतरफ बोर्ड लगाना होगा, जिस पर दरों का प्रदर्शन बड़े—बड़ें अक्षरों में करना होगा, इसकेअतिरिक्त न्यायालय परिसर के दोनों मुख्य दरवाजों पर भी रेट लिस्ट का मोटे अक्षरों में प्रदर्शन करना होगा।
  - . ठेकेदार को वाहन रखने व उसकी डिलीवरी देने के लिये स्टैण्ड पर पर्याप्त व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर स्वयं करनी होगी।
  - 10. ठेकेदार उन समस्त व्यक्तियों के नाम, पतें की जानकारी उपलब्ध करायेगा, जिन्हें उसके द्वारा विभिन्न वाहन स्टैण्डों पर लगाया गया हो। वाहन स्टैण्ड पर कार्यरत व्यक्तियों के कार्य एवं व्यवहार की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सफल ठेकेदार अन्य व्यक्तियों को ठेका सबलेट नहीं कर सकेगा।

- 11. राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर लगाये गये करों का पृथक से भुगतान करना होगा।
- 12. आयकर विभाग को देय स्त्रोत पर कर(टी डी एस) राशि का नियमानुसार पृथक से भुगतान ठेकेदार को करना होगा एवं जीएसटी की राशि स्वयं जमा कराते हुए चालान प्रस्तुत करना होगा।
- 13. ठेकेदार ग्राहकों से नम्र व्यवहार करेगा।
- 14. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक ग्राहक को टोकन देना होगा तथा टोकन नम्बर को ग्राहक के वाहन पर भी अंकित करना होगा। यदि वाहन खो जाता है तो 24 घन्टे के अन्दर क्लेमेन्ट को वाहन बाजार मूल्य पर देना होगा।
- 15. भारतीय डाकतार विभाग का कर्मचारी जो डाक देने के उददेष्यसे तथा दूरसंचार विभाग, विधुत विभाग, जलदाय विभाग का कर्मचारी जो बिल देने के लिये आया है, का वाहन बिना षुल्क के रखना होगा।
- 16. सफल बोलीदाता प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ठेका राशि का एक माह का अनुपात एवं टीडीएस की राशि जमा करानी होगी तथा जीएसटी राशि जमा कराकर चालान प्रस्तुत करना होगा। निधारित तिथि तक राशि जमा नहीं कराने पर जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा तथा पुनः नीलामी कार्यवाही की जावेगी।
- 17. सफल बोलीदाता अपने निवास स्थान, दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर, की सूचना ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व देगा तथा ठेका अवधि में यदि उक्त में परिवर्तन करता है तो तुरन्त लिखित में सूचना देगा ।
- 18. सफल बोलीदाता को ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व स्वयं के खर्चे पर 500 / रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ठेका अनुबन्ध करना होगा।
- 19. ठेका छोडने, नहीं छोडने तथा ठेका निरस्त करने के पूर्ण अधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर के पास सुरक्षित रहेगें। साईकिल स्टेण्ड का ठेका उस व्यक्ति को नहीं दिया जावेगा जिसका पिछला रिकार्ड खराब होगा अथवा जिसके शिष्ठ व्यवहार के बारे में निम्न हस्ताक्षरकर्ता / नीलामी कमेटी को सन्देह होगा।
- 20. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कचहरी परिसर में वाहन पार्किंग से वाहनों के आने—जाने का मार्ग बाधित न हों। जिला न्यायाधीश एवं न्यायिक पूल के वाहन गैराजो के सामने नो पार्किंग जोन में कोई वाहन पार्क नहीं किया जावे। पार्किंग के कारण किसी भी कार्यालय में आवागमन बधित नहीं होना चाहिए।
- 21. आरक्षित स्थान— पार्किंग के लिए पूर्व से स्थान निर्धारित हैं, जिनका अवलोकन कार्यालय समय में जिला एवं सेशन, न्यायाधीश, अलवर द्वारा किया जा सकता है। उक्त स्थानों के अलावा अन्य स्थान स्टाफ के वाहनों के लिये आरक्षित रहेगा।
- 22. न्यायालय परिसर स्थित न्यायालयो / कार्यालयों के नवनिर्मित न्यायालय भवन में स्थानांतरित होने अथवा एक वर्ष, जो भी पहले हो तक के लिए ठेका स्वीकृत किया जावेगा। यदि एक वर्ष की अवधि से पूर्व न्यायालयों / कार्यालयों को नवनिर्मित न्यायालय भवन में स्थानान्तरित किया जाता है तो वार्षिक ठेका राशि को अनुपातिक रूप से कचहरी परिसर से न्यायालयो / कार्यालयों के संचालित होने तक की तारीख तक लिया जावेगा तथा शेष राशि लौटा दी जावेगी।
- 23. कार्य संपादन प्रतिभूति को ठेका अवधि पूर्ण होने अथवा नवनिर्मित न्यायालय भवन में स्थानांतरित होने पर सफल ठेकेदार को लौटाया जावेगा। बकाया होने पर प्रतिभूति राशि से ही वसूली कि जा सकेगी
- 24. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार, अलवर शहर होगा ।

TIWAS CONTRACTOR OF THE PARTY O

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

## Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

#### Declaration by the Bidder

In	relation	to	my/ou	r Bid	submitte	d to		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		for	procurement	of
				. in	response	to	their	Notice	Inviting	Bids	No	
Da	ted		I/we I	hereby	declare u	nder	Sectio	n 7 of	Rajasthan	Transp	arency in Pul	olic
	curement											

- I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our
  affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities
  suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Doc1





Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Proc The designation and address of the First Appellate Authority is	ess
The designation and address of the Second Appellate Authority is  (1) Filing an appeal	

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

#### (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

#### (5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Docl



(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### (7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



1

Doc1

# Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

 not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

- not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

